भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 123
09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- पोल्लाची नारियल क्लस्टर का विकास
***123 श्री ईश्वरस्वामी के.:**
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 250 करोड़ रुपये की पोल्लाची नारियल क्लस्टर परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति, निधि जारी करने और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और क्या इस परियोजना के संचालन में किसी विलंब की सूचना मिली है;

(ग) क्या किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों सहित किसानों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त रूप से सूचना और सहायता प्रदान की जाती है;

(घ) उत्पादन-पूर्व, मूल्यवर्धन, संभार-तंत्र और ब्रांडिंग के संबंध में समय पर अवसंरचना विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जैसा कि घोषणा की गई थी; और

(ङ) क्या सरकार पोल्लाची क्षेत्र में किसानों की आय प्राप्ति को प्रभावित करने वाली किन्हीं कमियों की जिम्मेदारी लेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि निधियां बिना उपयोग के नहीं रह जाएं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पोल्लाची नारियल क्लस्टर का विकास" के संदर्भ में लोक सभा में 09 दिसंबर 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 123 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लेखित विवरण

(क): सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। हालाँकि, सरकार ने कलस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत नारियल विकास के लिए संभावित कलस्टर के रूप में तमिलनाडु के पोल्लाची क्षेत्र की पहचान की है। यह देश के प्रमुख नारियल उत्पादक बेल्ट में से प्रमुख बेल्ट के रूप में स्थापित जिसने नारियल के बागानों की उच्च सघनता, अनुकूल कृषि जलवायु परिस्थितियाँ, किसानों एवं एफपीओ हेतु सुविकसित इकोसिस्टम तथा फसलोपरांत विस्तार प्रसंस्करण और निर्यात संबंधी कार्यकलापों के लिए मजबूत संपर्कता और क्षमता प्रदर्शित की है। तदनुसार, राज्य द्वारा पोलाची क्षेत्र के लिए दिनांक 02.09.2024 को तनहोडा को क्लस्टर विकास एजेंसी (सीडीए) के रूप में पहचाना गया था। क्लस्टर विकास एजेंसी (सीडीए) ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के परामर्श से नारियल के विकास के लिए एक क्लस्टर गैप असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की, जिसे तनहोडा द्वारा को तैयार करके दिनांक 22.02.2025 और प्रस्तुत किया गया।

(ख): क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, पोलाची नारियल क्लस्टर के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दिनांक 09.05.2025 को जारी किया गया था और इसके लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों की जांच करने पर पाया गया कि एक आवेदक दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है। दूसरे आवेदन के संबंध में, वित्तीय विवरण, टर्नओवर विवरण, शेयरधारकों के सीए-प्रमाणित निवल मूल्य प्रमाणपत्र और पूर्ण घटक-वार वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करने सहित कुछ कमियां पाई गई हैं, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए ठीक किया जाना आवश्यक है। इसे आशोधन और आगे के विचार के लिए पुनः प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार/तनहोडा (सीडीए) को सूचित किया गया था।

(ग): किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को पर्याप्त जानकारी और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए कई हितधारक परामर्श आयोजित किए गए। तनहोडा और एनएचबी ने दिनांक 13.02.2024, 18.12.2024, 24.12.2024 और 08.03.2025 को व्यापक हितधारक परामर्श बैठकें की गई, जिनमें प्रगतिशील नारियल किसान, एफपीओ, सहकारी समितियाँ, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल थीं। इच्छुक बोलीदाताओं के प्रश्नों के समाधान हेतु दिनांक 26.05.2025 को एक बोली-पूर्व बैठक भी आयोजित की गई।

(घ) और (ङ): निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उत्पादन-पूर्व, मूल्यवर्धन, लॉजिस्टिक्स और ब्रांडिंग घटकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का समय पर विकास करने के लिए सख्त समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना कार्यान्वयन के दौरान सुचारू निधि अंतरण और संपूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सीडीपी सुरक्षा पोर्टल का विकास किया गया है। यह पोर्टल पारदर्शी ई-रुपी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रभावी निधि उपयोग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और वित्तीय सहायता के निर्बाध अंतरण के लिए एक मजबूत तंत्र उपलब्ध कराता है। ये उपाय सामूहिक रूप से जवाबदेही को मज़बूत करते हैं और प्रचालन संबंधी खामियों को कम करते हैं, जिससे किसानों की आय की सुरक्षा होती है।
